

फैक्स/ईमेल
अत्यावश्यक

पत्रांक-5/स.1-98/2016...../

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
उप निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

राँची, दिनांक-...../

विषय:- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय समिति द्वारा श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर के बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए 50 (1 यूनिट) additional intake की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- Srinath College of Education, Adityapur, Jamshedpur का पत्रांक-279 दिनांक-23.05.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय समिति का पत्रांक-52949 दिनांक-02.05.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर को बी0एड0 पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र के लिए 50 (1 यूनिट) additional intake की स्वीकृति प्रदान की गई है।

I.A. No. 16/2017 in WP(S) No. 276/2016 Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya V/s State of U.P. and Others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:- "The last date of issuance of formal order of recognition for Session the 2017-2018 is extended till 02.05.2017 and the last date for grant of affiliation by the concerned authority is extended till 30.05.2017."

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले में विश्वविद्यालय स्तर से यथोचित कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन विभाग को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराया जाय ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा (दिनांक-30.05.2017) के अन्दर विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक:-यथोक्त।

ह0/-

(अजय कुमार चौधरी)

उप निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-5/स.1-98/2016...../ 1472

राँची, दिनांक-24/05/17...../

प्रतिलिपि:- सचिव, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/17 24/5/17

(अजय कुमार चौधरी)
उप निदेशक, उच्च शिक्षा।

इमेल/फैक्स

पत्रांक : 5/स.1-98/2016-...../

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरण्डा, राँची-834002.

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
उप निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

विषय:- राँची, दिनांक :...../
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अन्तर्गत श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर को बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए 50 सीट (01 यूनिट) Additional Intake की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर को बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए 50 सीट (01 यूनिट) Additional Intake संबंधी प्रस्ताव पर समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	Approved Unit	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/ दिनांक
1.	श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	Additional Intake of 50 students (01 Unit)	पत्रांक-52949 दिनांक-02.05.2017

2. शर्तें:-

(क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या- WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन हो।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,
- एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।

(ग) AISHE portal पर data का upload.

(घ) IQAC का गठन।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार चौधरी)
उप निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-5/स.1-98/2016...../ 1550

राँची, दिनांक- 30.5.17

प्रतिलिपि:- सचिव, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार चौधरी)
उप निदेशक, उच्च शिक्षा।